कार्यालय नगर पालिक निगम, रतलाम (म.प्र.)

Municipal Corporation Office, Ratlam M.P. (RMC) 01, College Road, Ratlam (457001), Tel: 07412-270555
Fax : 07412-270556,E-mail: commratlam@mpurban.gov.in Website: www.rmcratlam.in

क्रमांक/940/स्था.शाखा/2026 :: विज्ञापन :: रतलाम, दिनांक : 27/10/2026

कार्यालय का नाम- नगर पालिक निगम, रतलाम (म.प्र.)

विशेष दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी किये जाने वाले विज्ञापन का प्रारूप

मध्यप्रदेश शासन द्वारा पत्र क्रमांक एफ 8-2/2013/आ.प्र./एक/(पार्ट) भोपाल, दिनांक 09/10/2026 अनुसार "विशेष दिव्यांगजन भर्ती अभियान" के अंतर्गत 09 अक्टूबर 2026 से 31/12/2026 निर्धारित की गयी है।

प्रकरण में शासन आदेशानुसार दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद माली प्रशिक्षित तृतीय श्रेणी चौकीदार व भृत्य चतुर्थ श्रेणी के पदों की पूर्ति वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से नगर पालिक निगम, रतलाम द्वारा की जाना है एवं शासन द्वारा दिये निर्देशानुसार "भर्ती प्रक्रिया का अनुपालन करते" हुए दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग पदों की तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के आरक्षित पद/पदों की पूर्ति भर्ती की जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं आर्हता रखने वाले अभ्यर्थी नीचे दर्शाये गये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भर कर दिनांक 28/11/2026 को कार्यालयीन समय समाप्तकाल 06:00 तक आवेदन-पत्र प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में आवेदन-पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जावेगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिए निकाय/ कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता अनुसार निर्धारित तिथि की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				निर्धारित योग्यता	सीधी भर्ती प्रक्रिया अनुसार की जावेगी।
				दृष्टी बाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता		
01	माली (प्रशिक्षित)	तृतीय	19500-62000 एल-4	0	0	1	0	कक्षा 8वी उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षण अथवा 05 वर्ष का अनुभव	
02	भृत्य	चतुर्थ	15500-49000 एल-1	1	0	0	0	कक्षा 10वी उत्तीर्ण	-
03	चौकीदार	चतुर्थ	15500-49000 एल-1	0	1	0	0	कक्षा 10वी उत्तीर्ण	-

मुख्य शर्तें:-

01 आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

02 समस्त प्रमाण-पत्रों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने उपरांत प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न प्रेषित की जावें।

03 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग-अनु.ज.,अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/निःशक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए 18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट) होगी।

04 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी-3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में वैधिक पंजीयन होना अनिवार्य है।

05 आवेदक को वॉक-इन-इन्टरव्यू के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है।

06 निःशक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा।

07 डिजिटल जाति मूल निवासी प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया ही मान्य होगा।

08 आवेदकों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

09 अधूरे, अस्पष्ट एवं अवास्तविक आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

10 भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्तें कार्यालयीन समय में निगम/निकाय से प्राप्त की जा सकती है।

11 यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदों के लिए अयोग्य माना जावेगा।

12 यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण करता है।

13 आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व में सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।

14 आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना, 2005 अंतर्गत नियुक्ति होंगे।

15 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण दिये जाने से विशेष पिछड़ी जनजातियों (सहरिया/सहरिया, भरिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

16 ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण है एवं विहित प्रारूप में नहीं है वे निरस्त कर दिये जावेंगे। अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो कपोलकल्पित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जावेंगे। साथ ही ऐसे निष्कर्ष दिये गए हो, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो जो चयन के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।

17 दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग है यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जावेंगे।

18 यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।

19 जिसकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है, परन्तु निर्वाचित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।

20 मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी, 3-13 /2019 /3 /एक भोपाल, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यर्थी 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा। परिवीक्षा अवधि में अभ्यर्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टाइपेंड के रूप में दी जावेगी।

21 दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश नगर पालिका सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) सेवा, नियम 2021 में विहित प्रावधानुसार की जावेगी।

22 नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होंगे।

आयुक्त
नगर पालिक निगम रतलाम